न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/192

जसबीर सिंह आत्मज हरबन्स सिंह जाति जट सिक्ख निवासी शहीद भगत सिंह कॉलोनी मामा भान्जा चौराहा, गोदाम की तलाई तोपखाने के पीछे झालावाड राजस्थान

——अपीलान्ट

बनाम

1. आया सिंह आत्मज इन्दर सिंह जाति सिक्ख
2. भूपेन्द्र सिंह आत्मज इन्दर सिंह जाति सिक्ख
   निवासीगण झालावाड़
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी, जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

अपील संख्या : 2024/193

जसबीर सिंह आत्मज हरबन्स सिंह जाति जट सिक्ख निवासी शहीद भगत सिंह कॉलोनी मामा भान्जा चौराहा, गोदाम की तलाई तोपखाने के पीछे झालावाड राजस्थान

——अपीलान्ट

बनाम

1. आया सिंह आत्मज इन्दर सिंह जाति सिक्ख
2. भूपेन्द्र सिंह आत्मज इन्दर सिंह जाति सिक्ख
   निवासीगण झालावाड़
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी, जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः–1.श्री हुकमचन्द जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनो अपीलों में।
2. श्री लीलाधर अग्रवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से दोनो अपीलों में।

निर्णय दिनांकः 28.02.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 196/2023 में पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05.02.2024 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्रारम्भिक डिक्री एवं दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 54, 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमंडी में खाता सं० नया 57 पुरानों 57 में दर्ज ख0नं0 718 की रकबा 0.5200 हैक्टर आराजी स्थित है। नकल जमाबन्दी ग्राम खैराबाद संवत 2072 से 2075 संलग्न है। राजस्व रेकॉर्ड में वाद–पत्र की मद नं० 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात वादीगण सं0–1 एवं 2 एवं नरेन्द्रसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति सिक्ख निवासी–झालावाड के प्रत्येक के हिस्सा 1/3 से खातेदारी में दर्ज है। खातेदार/वादी सं०–1 के द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी वाके ग्राम खैराबाद स्थित ख०नं0 718 की रकबा 0.5200 हैक्टर में निहित वादी सं0–1 के 1/3 हिस्सा में से 2/15 हिस्सा का एवं सह–खातेदार नरेन्द्रसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति सिक्ख निवासी झालावाड के द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी में निहित अपना संम्पूर्ण 1/3 हिस्सा–याने दोनो विक्रेतागण के द्वारा कुल वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खैराबाद स्थित ख0नं0 718 की रकबा 0.5200 हैक्टर में से 7/15 हिस्सा का बैचान – प्रतिवादी सं0–1 को जर्ये रजि० विक्रय–पत्र दिनांक 25.04.2017 से कर दिया है। इस वाद–पत्र की मद सं०–3 में वर्णितानुसार किये गये बैचान का विक्रय–पत्र उप पंजीयक कार्यालय रामगंजमंडी में पुस्तक सं०–1, जिल्द सं0 341 में पृष्ठ सं०–20, कम सं०–2017000333 पर दिनांक 25.04.2017 को पंजीबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0–1, जिल्द सं० 1386 में पृष्ठ सं0–60 से 63 पर चस्पा किया गया है। इस वाद–पत्र की मद सं०–3 में वर्णितानुसार किये गये बैचान के बाद– उपरोक्त वर्णित आराजी वाके ग्राम खैराबाद स्थित ख०नं० 718 की रकबा 0.5200 हैक्टर में पक्षकारान का निम्न प्रकार से हिस्सा निहित हो गया है। वादी सं०–1 आयासिंह का हिस्सा 3/15 हिस्सा। वादी सं0–2 भूपेन्द्रसिंह का हिस्सा 1/3 हिस्सा। केता – प्रतिवादी सं०–1 जसबीरसिंह का हिस्सा– 7/15 है। पक्षकारान वाद–पत्र की मद नं0 1 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खैराबाद के ख0नं0 718 की रकबा 0.5200 हैक्टर पर इस वाद–पत्र की मद सं0–5 में दर्ज हिस्से अनुसार संयुक्त रुप से काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा इसी आराजी के 65+66/2गुणा45+50/2 अर्थात 3111.25 वर्ग फुट कनवर्टशुदा हिस्से पर संयुक्त रुप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। तथा शामलाती रुप से खातेदारी में दर्ज होने से वादीगण को अपने हिस्से की आराजी पर ऋण लेने एवं भूमि को उपजाउ बनाने में काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। दिनांक 19.01.2023 को वादीगण ने प्रतिवादी सं0–1 से– उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी के खाते का एवं मोके पर विधिवत विभाजन कराने हैतु कहा– कह इस पर प्रतिवादी सं०–1 ने उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने से साफ इंकार कर दिया। उक्त परिस्थितीयो में वादीगण सं0–1 एवं 2 के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत कर वाद–पत्र की मद नं० 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी के खाते का एवं मोके पर विधिवत विभाजन करवा कर वादी सं०–1 आयासिंह का 3/15 हिस्सा एवं वादी सं0–2 भूपेन्द्रसिंह का 1/3 हिस्सा एवं केता–प्रतिवादी सं०–1 जसबीरसिंह का 7/15 हिस्सा आराजी को प्रत्येक पक्षकारान के प्रथक से खातेदारी में दर्ज करावे एवं लगान राज भी प्रथक से मुकर्रर करावे। इस हेतु प्रतिवादी सं0–1 के तैयार नही होने से यह वाद–पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। वाद कारण 19.01.2023 को वादीगण के द्वारा प्रतिवादी सं0–1 से उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

आराजी के खाते का एवं मोके पर विधिवत विभाजन कराने हैतु कहने पर तथा प्रतिवादी सं०–1 के द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने से साफ इंकार करने पर पैदा हुआ है। अन्त में वाद–पत्र की मद नं० 1 में वर्णित समस्त वादग्रस्त आराजी के खाते का एवं मोके पर विधिवत विभाजन किया जाकर वादी सं०–1 आयासिंह का 3/15 हिस्सा एवं वादी सं0–2 भूपेन्द्रसिंह का 1/3 हिस्सा एवं केता प्रतिवादी सं०–1 जसबीरसिंह का 7/15 हिस्सा आराजी को प्रत्येक पक्षकारान के प्रथक से खातेदारी में दर्ज किया जावे एवं लगान राज भी प्रथक से दर्ज किए जाने का निवेदन किया तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण प्राप्त करने के अधिकारीणी हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावे।

4. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2024 को वादीगण रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि के विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की तथा प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर दिनांक 08.04.2024 को विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05.02.2024 तथा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2012 पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.02.2024 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.02.2012 तथा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 निरस्त फरमाये जावें।

6. अपीलांटगण की ओर से दोनो अपीलें मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। दोनो अपीलों के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना व बिना जानकारी के आदेश एवं डिक्री प्रदान की है। जिसकी अप्रार्थीगण द्वारा खुर्द बुर्द व बेदखल करने की धमकी देने पर जमाबन्दी दिनांक 18.07.24 की नकल प्राप्त की जिस पर जानकारी हुयी कि अप्रार्थीगण द्वारा खाता पृथक पृथक हो रहा है, जिस पर सम्पूर्ण जानकारी कर दिनांक 23.07.24 को नकल का आवेदन कर दिनांक 25.07.24 को नकल प्राप्त की तंत्पश्चात् विधिक राय लेकर व पेसो की व्यवस्था कर अपील जानकारी की तिथी से अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रार्थी की गलती सदभाविक एवं क्षन्य है। न्यायहित में उदारता का रूख अपनाकर अवधि कन्डोन किया जाना अधिकारो की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी से अपील करने मे हुयी कुली देरी को कन्डोन फरमायी जाकर अपील में सुनवायी किये जाने के आंदेश प्रदान करे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से दोनो अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर दोनो अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । दोनो अपीलों के रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में

दोनो अपीलों में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा दोनो अपीलों में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया । उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

8. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कियोग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि न्याय, एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है।योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट के नाम योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सम्मन जारी नहीं किया गया और न ही कोई सम्मन अपीलान्ट को मिला है। किन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को तामील होना मानकर आदेश प्रदान कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोईध्यान नही दिया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 5 सी. पी. सी. के विधिक प्रावधानो के विपरीत जारी सम्मन व सम्मन पर वर्णित तथ्य के आधार पर तामील होना मान लिया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के घर के एवं दुकान के पते पर सम्मन भेजा गया, उक्त दोनो स्थानो पर भेजे गये सम्मन शामिल मिसल है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत है। उसके बावजूद भी अपीलान्ट को तामील होना मान लिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि आदेश एवं डिक्री प्रदान करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना न्याय के हित मे आवश्यक है। उक्त कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो गलत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से आराजी खरीद की गई है। तथा बाद खरीद मौके पर कब्जा प्राप्त कर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है जिसकी सम्पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट, को रही है रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के बाबत सम्पूर्ण जानकारी ज्ञात होने के बावजूद भी विधि विरुद्ध तामील होना मानकर एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. (7) पेज 194, आर.आर.टी. 2024(2) पेज 964, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 87, आर.बी.जे.(26) 2019 पेज 123, आर.आर.टी. 2007(2) पेज 1123 प्रस्तुत किए। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया तथा अपीलांट को जारी सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी की अपीलांट को तामील हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 31.01.2024 की आदेशिका में अपीलांट को जारी सम्मन नोटिस बाद तामील प्राप्त होने का अंकन है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की भलीं–भांति जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की

पालना करते हुए दिनांक 31.01.2024 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश विधि सम्मत रूप से प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 पारित की गई है। जिस पक्षकार का जितना हिस्सा वादग्रस्त भूमि में निहित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रत्येक पक्षकार को उतने ही हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। किसी भी पक्षकार का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से को प्राथमिक डिक्री में परिवर्तित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 पक्षकारान के राजस्व अभिलेख में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही पारित की गई है जो विधि सम्मत है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024 से पूर्व ही अपीलांट की तामील हो चुकी थी अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पारित प्राथमिक डिक्री की अपीलांट को प्रारंभ से ही जानकारी थी, इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा जानबूझकर प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध नियत समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में अंतिम डिक्री पारित की गई है जो पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार होने तथा प्राथमिक डिक्री के अनुसार होने से विधि सम्मत है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार रहा है तथा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री की भलीं–भांति जानकारी रही है। इसके बावजूद भी अपीलांट ने जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कोई प्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दानो अपीलें अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.03.2024 को तैयार किया गया है। प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है। अपीलांट विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने के दौरान मोके पर जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ। प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड व मोके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अतः प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें मियाद के साथ साथ गुणावगुण पर भी खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें खारिज किए जाने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से दोनो अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से दोनो अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया।

प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से दोनो अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाते है। दोनो अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा दोनो अपीलें अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण की जानकारी नहीं हुई तथा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किसी प्रकार का सम्मन नोटिस प्राप्त नहीं हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बिना तामील व बिना सूचना के ही प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 पारित की है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.09.2023 में प्रतिवादी संख्या 1 को जारी सम्मन नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा लेने से मना किए जाने तथा वापस लौटाये जाने का अंकन है तथा इसी आदेशिका दिनांक 26.09.2023 में प्रतिवादी संख्या 1 की तामील होना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 31.01.2024 में प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को जारी दो सम्मन नोटिस जर्ये रजिस्टर्ड एडी संलग्न है जिन पर अलग–अलग पता अंकित है। वादपत्र में अंकित अपीलांट के घर के पते पर जारी सम्मन नोटिस पर प्राप्तकर्ता के घर पर नहीं मिलने की रिपोर्ट का अंकन है तथा "दशमेश मोबाईल, मंगलपुरा झालावाड(राज.)" के पते पर अपीलांट को जारी सम्मन नोटिस पर प्राप्तकर्ता के अनुपस्थित होने की रिपोर्ट का अंकन है। अतः अपीलांट को दोनो पतों पर जारी सम्मन नोटिस में अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं होने की रिपोर्ट का अंकन होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामील होना स्वीकार किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की विधिवत रूप से तामील करवाई जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की तामील हुए बिना ही त्रुटिपूर्ण रूप अपीलांट की तामील होना स्वीकार करते हुए अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं हुई अतः अपीलांट को प्रश्नगत प्रकरण की जानकारी नहीं होने के कारण अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की बिना तामील व बिना जानकारी के प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024 पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया गया अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामील करवाये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024 पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की तामील नहीं हुई अतः अपीलांट को प्रश्नगत प्रकरण की जानकारी नहीं होने के कारण प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने के दौरान अपीलांट उपस्थित नहीं हो सका। विभाजन प्रस्ताव तैयार

किए जाने से पूर्व अपीलांट को जारी किसी प्रकार के सम्मन नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया। अपीलांट की बिना सूचना व बिना उपस्थिति के ही प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। उक्त त्रुटिपूर्ण विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 पारित की गई है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः हमारे मत में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 196/2023 में पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05.02.2024 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें तथा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करें। साथ ही राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.04.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
कोटा